

Asha For Education Sillicon Vally
Mahesh Kumar Pandey Fellowship 2022-2023


Social Journey of Mahesh Kumar

- Mahesh Kumar started his social journey in 1994 with one of the co-founders of 'Asha' Sandeep Pandey.
- From 1994 to 1996 his wok involved help in teachers training and creating curriculum for a school established for underprivileged kids in Ballia District of Uttar Pradesh.
- From 1997 to 1998 he worked with JP trust in Sitabdiyara, Ballia on rural technology.
- In 1999 he participated in a 1500 KM long march from Pokhran to Sarnath for Nuclear Disarmament and Peace.
- From 2000 to 2005 his area of work expanded to include Education, RTI, MNREGA, Village empowerment, women empowerment and other social issues in Hardoi and Lucknow District
- In the year 2006 he started working in Kanpur for education of Migrant Children, RTI, RTE MNREGA, Women Empowerment, Women Domestic Workers, Human rights, Labour rights, Environment, Peace, Communal harmony and other social issues.

Education for Children of Migrant Labours

Ek Kadam Project (Apna Ghar)

Ek-Kadam project is a residential hostel for the all around development migrants' children run by 'ASHA' Kanpur. It was started in 2006 as a model project for those migrant children who had to leave their education in between due to their parents' profession. Their parents usually migrate from other states or districts to Kanpur in search of work. Most of them work at brick-field site along with their children for 6-7 months and then go back to their native villages. We started a residential hostel under Ek-Kadam project, which is known as Apna Ghar. It started with only nine children but now there are forty two children with us. Currently there are 48 children living in a well-planned residential complex. 15 children have completed their education and moved out from Apna Ghar for further studies.

























What do we do

Help empower
the underprivileged
by providing access
to education

Asha a fully

a fully volunteer-run

501(c)(3) non-profit with 50+ chapters around the world whose mission is to catalyze socioeconomic change in India through the education of underprivileged work with over 200 projects spread across the length and breadth of India. The projects deal

with educational issues from preprimary schooling to professional education in locations from urban slums to isolated rural areas. Learn You can help us in our mission in a variety of ways. You can

of ways. You can join a local chapter, get involved with projects in India at an intimate level with the Asha Stars program, help us

with our fundraising efforts, visit a

Donate

Chapters

Contac















Right to Education 2009

The Right of Children to Free Compulsory Education Act or Right to Education Act (RTE). Parliament of India enacted on 4 August 2009, The RTE Act aims to provide primary all education children aged 6 to 14 years. The act mandates 25% reservation for disadvantaged sections of the society.

2016-2017 Kanpur session there were only 2 admissions under the RTE.

We ran a campaign In Kanpur which resulted total admission is reaching after second lottery 7,026 in 2022-2023 under the RTE act.





लिखा हुआ कोड बॉक्स में टाइप करें *





	RTE 25% UTTAR PRADESH DISTRICT WISE TOTAL SEAT ALLOTMENT 20230-2024							
S.No.	District	Allotted Seat (L-1)	Allotted Seat (L-2)	Allotted Seat (L-3)	Total Seat (Lottery 1 To 3)			
1	AGRA	2641	2119	0	4760			
	ALIGARH	2725	1075	0	3800			
	ALLAHABAD	1624	1010	0	2634			
	AMBEDKAR NAGAR	148	217	0	365			
	AMETHI	416	580	0	996			
	AMROHA	270	390	0	660			
	AURAIYA	40	53	0	93			
	AZAMGARH	658	1002	0	1660			
	BAGHPAT	90	96	0	186			
	BAHRAICH	37	158	0	195			
	BALLIA	1388	1075	0	2463			
	BALRAMPUR	49 264	50 284	0	99 548			
	BANDA	407	443	0	850			
	BARABANKI BAREILLY	1223	592	0	1815			
	BASTI	1223	26	0	38			
	BHADOHI	920	718	0	1638			
	BIJNOR	454	260	0	714			
	BUDAUN	683	620	0	1303			
	BULANDSHAHR	1914	1440	0	3354			
	CHANDAULI	603	452	0	1055			
	CHITRAKOOT	6	27	0	33			
	DEORIA	38	86	0	124			
24	ETAH	143	160	0	303			
25	ETAWAH	86	262	0	348			
26	FAIZABAD	220	153	0	373			
27	FARRUKHABAD	121	192	0	313			
28	FATEHPUR	262	194	0	456			
	FIROZABAD	820	1222	0	2042			
	GAUTAM BUDDHA NAGAR	2998	2088	0	5086			
	GHAZIABAD	3606	1703	0	5309			
	GHAZIPUR	435	540	0	975			
	GONDA	134	540	0	674			
	GORAKHPUR	2066	1049	0	3115			
	HAMIRPUR	9	44	0	53			
	HAPUR HARDOI	1033 75	534 227	0	1567 302			
	HATHRAS	1112	597	0	1709			
	JALAUN	326	351	0	677			
	JAUNPUR	180	151	0	331			
	JHANSI	1000	677	0	1677			
	KANNAUJ	12	29	0	41			
	KANPUR DEHAT	50	80	0	130			
	KANPUR NAGAR	4190	2836	0	7026			
	KASGANJ	129	165	0	294			
46	KAUSHAMBI	63	81	0	144			
	KHERI	267	296	0	563			
	KUSHI NAGAR	180	346	0	526			
	LALITPUR	381	256	0	637			
	LUCKNOW	7336	5618	0	12954			
	MAHARAJGANJ	315	402	0	717			
	MAHOBA	15	45	0	60			
	MAINPURI	269	324	0	593			
	MATHURA	355	600	0	955			
	MAU	445	335	0	780			
	MEERUT	2988	1796	0	4784			
57	MIRZAPUR	1229	496	0	1725			

58	MORADABAD	3002	1151	0	4153
59	MUZAFFARNAGAR	99	320	0	419
60	PILIBHIT	485	254	0	739
61	PRATAPGARH	67	140	0	207
62	RAE BARELI	728	483	0	1211
63	RAMPUR	707	479	0	1186
64	SAHARANPUR	599	690	0	1289
65	SAMBHAL	193	383	0	576
66	SANT KABEER NAGAR	153	107	0	260
67	SHAHJAHANPUR	476	441	0	917
68	SHAMLI	340	763	0	1103
69	SHRAVASTI	104	59	0	163
70	SIDDHARTH NAGAR	12	407	0	419
71	SITAPUR	252	290	0	542
72	SONBHADRA	455	301	0	756
73	SULTANPUR	312	195	0	507
74	UNNAO	156	203	0	359
75	VARANASI	6492	1264	0	7756
	TOTAL	64092	45092	0	109184

बच्चों के अधिकार परभी डाका...ये कैसे स्कूल

कानपुर। स्कूल ही बच्चों से मुंह मोड़ लें, उनका अधिकार न दें तो . . . उन्हें क्या कहा जाए। कानपुर के दो स्कूलों से ऐसे ही मामले सामने आए। एक स्कूल ने मां के आसुओं की कद्र नहीं की।आरटीई के तहत हकदार उसके बच्चों को प्रवेश नहीं दिया।आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने बुधवार के अंक में उस मां के दर्द को शब्द दिए तो परा तंत्र जागा। अफसर बच्चों को लेकर पहुंचे और बच्चों को प्रवेश दिलाया। लेकिन इसी दिन एक अन्य रकल की असंवेदनशीलता सामने आई है । उसने आरटीई के तहत पढ़ रहे छात्रों को केवल इसलिए स्कल से बाहर कर दिया कि उनके पास स्मार्ट फोन नहीं हैं ।

शिक्षा अधिकारी कार्यालय में

र्टिफोन नहीं था, बच्चे का नाम काटा | जुड़वांरिदम, अमायाको बर्थडे का गिफ्ट

पिता अपने बच्चों को स्मार्ट फोन न दे सके तो स्कुल ने उनके नाम काट कर बाहर कर दिया। इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानन के तहत 2018-19 में प्रवेश मिले थे। वे कोविड काल में स्मार्ट फोन से पढ़ाई नहीं कर सके। स्कल से नाम कटने के बाद एक मजदर पिता बेटी को लेकर स्कल के चक्कर काटते-काटते थक गया तो उसे घर पर ही बैठा लिया। बीएसए कार्यालय तक ऐसे चार मामले पहुँचे हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक से भी शिकायत की है।

उस्मानपुर निवासी देशराज मजदूरी कर परिवार का पेट पालते हैं। उन्होंने बेटी अर्चना का एडिमशन आरटीई के तहत सत्र 2018-19 में साकेत नगर स्थित वेंडी एकेडमी हाईस्कल में प्री नर्सरी में करा दिया था। देशराज के अनुसार एक सत्र उसने पूरी पढ़ाई की। अगले सत्र में कोरोना काल के दौरान किसी भी तरह का फोन नहीं होने के

2018-19 में मिला था प्रवेश स्कल वालों की मनमानी

 बीएसए से मजदर देशराज ने बयां की अपनी बेंबसी

 वेंडी एकेडमी में आस्टीई में दो वर्ष पहले कराया था दाखिला **66** आरटीई में सत्र 2018-स्कूल बच्चों को निकाल नहीं सकते हैं। स्कूल संचालक को नोटिस दिया गया है। यदि वे फिर भी प्रवेश नहीं लेते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।

-सुरजीत कु .सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी

स्कुल को बीएसए ने थमाया नोटिस

बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने वेंडी एकेडमी हाईस्कूल, साकेत नगर के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। समाजसेवी संदीप पांडेय और महेश कमार ने अभिभावकों की ओर से वेंडी एकेडमी हाईस्कूल की शिकायत की है।

कारण पढाई बाधित हो गई। स्कुल खुला तो नहीं दी इंट्री :

देशराज बताते हैं कि सत्र 2022-23 की शरुआत हुई तो वह बेटी को लेकर स्कल गए। स्कल ने मेरी बेटी को पढ़ाने से मना कर दिया। पिंसिपल ने कहा-जब स्मार्ट फोन नहीं तो पढाई क्यों कराते हो। इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की पर स्कल न माना।

यही हाल अन्य तीन बच्चों का भी : उस्मानपर निवासी सनोज भी मजदर हैं। उनकी बेटी सान्या का दाखिला भी वर्ष 2018-19 में प्री नर्सरी में हुआ था पर स्मार्ट फोन न होने से प्रवेश नहीं

3

असर

कानपुर,वस्टि संवाददाता। छह माह बाद जुड़वां भाई-बहन रिदम और अमाया को उनके जन्मदिन पर स्कल में एडमिशन का गिफ्ट मिल गया। शिक्षा का अधिकार के तहत इन बच्चों को स्कुल आर्वोटत हुआ था लेकिन स्कुल प्रवेश लेने को तैयार नहीं था। बधवार को बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने खुद जाकर बच्चों का प्रवेश कराया।

आपके अपने अखबार 'हिन्दस्तान' ने बुधवार के अंक में 'स्कूल के सामने रोई मां, फिर भी नहीं लिया प्रवेश' खबर मखता से प्रकाशित की थी। डीएम के निर्देश पर बधवार सबह बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी दीपक अवस्थी और वरिष्ठ लिपिक अनिल द्विवेदी एनएलके पब्लिक लिटिल स्टेप जवाहर नगर पहुंचे। यहीं बच्चों की मां बबीता को



जुड़वां बच्चे रिदम व अमाया के साथ बबिता।

55 स्कूल के स्तर से कई शिकायतें आई थीं। इसे लेकर उसे नोटिस भी दिए जा रहे थे। स्कूल ने दोनों बच्चों को प्रवेश दे दिए हैं। स्कूल को चेतावनी भी दे दी गई है। अन्य स्कूलों ने भी वादा किया है कि वे प्रवेश ले लेंगे। - सरजीत कुमार सिंह, वेसिक शिक्षा अधिकारी

स्कुल को दी गई चेतावनी, तब माने : पहले तो स्कूल ने प्रवेश लेने में आनाकानी की। काफी देर बाद एक तकनीकी खामी निकाली। अभिभावक के आवास की जांच का महा उठाया। नियमों की अवहेलना पर जब स्कल को प्रवेश न लेने पर उनके खिलाफ संभावित कार्रवाई के बारे में बताया गया तो स्कुल प्रवेश लेने पर राजी हुआ।

अभिभावक से मांगा शपथपत्र: इन बच्चों को एनएलके पब्लिक लिटिल स्टेप जवाहर नगर में सीट आवॉटित की गई थी। स्कुल का कहना था कि बच्चे जडवां हैं. लेकिन फार्म में एक में अलाभित वर्ग है। बताया कि फार्म अभिभावक इंटरनेट कैफे पर भरवाते हैं। इस कारण यह त्रुटि हो गई होगी। अभिभावक एक शपथपत्र दे देंगे।

और खंड शिक्षा अधिकारी

एनएलके पब्लिक लिटिल

खुद पहुंचे प्रवेश कराने

स्टेप जवाहर नगर में

अप्रैल से दौड़ रही थी मां

आरटीई के तहत दाखिला देने में लापरवाह 40 स्कूलों को नोटिस

शहर के सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ होगी बैठक, डीएम करेंगे समीक्षा

अभिषेक सिंह

लखनक। निगलक शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी करने वाले शहर के 40 स्कलों को बीएसए ने नोटिस भेजा है। बच्चों को दाखिला न देने पर इन्हें आरटीई अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

वहीं, आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण न करने वाले गोमती नगर विराट खंड चार स्थित लखनऊ पब्लिक स्कल को

विशेष रूप से इंपैक्ट 📍 नोटिस भेजा गया है। दाखिल के दो चरण बीत चुके हैं

और तीसरा चरण चल रहा है, लेकिन इस स्कूल ने आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है। इससे अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेटन नहीं कर पा रहे हैं। अमर उजाला ने आरटीई में गडबड़ी और दाखिला न होने से परेशान अभिभावकों की समस्याएं प्रमुखता से ਪੁਰਚਾਗਿਰ ਕੀ शीं।

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया चल रही जारी की गई थी। पहले चरण से ही स्कूल दाखिला देने में बहानेबाजी कर रहें हैं। दाखिले के इंतजार में आरटीई के 9709 बच्चे

आरटीई को ठेंगा... स्कूल बोले, फीस जमा करो तभी दाखिला threat of the 4 t-

स्कुल बंद... लेकिन विभाग दिला रहा दाखिला

आरटीई में गड़बड़ी को लेकर अमर उजाला में प्रकाशित खबरें।

इसी सप्ताह होगी स्कलों के प्रतिनिधियों की बैठक

बीएसए ने बताया कि दाखिले में आ रही समस्या को लेकर इसी हफ्ते स्कूलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में भी बैठक बुलाई जाएगी, ताकि दाखिले की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और जो भी विवाद है उसका निपटारा किया जा सके। उन्होंने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित निजी स्कूलों में जाकर आरटीई के दाखिले करवाएं।

रहे हैं उनको स्कूल प्रबंधन फीस की मांग कर स्कूल जैसे डीपीएस, जयपुरिया, सीएमएस

200 से ज्यादा

शिकायतें आईं

बीप्रमा ने बनाया कि आउटीई के

दाखिले को लेकर शुरुआत में ही

स्कूलों की मनमानी की शिकायतें

आने लगी हैं। करीब 90 विद्यालये

अभिभावकों ने शिकायतें की हैं।

ਪਵਲੇ ਗੇ फੀਜ से चेतावनी ही गई

जिसमें कई स्कूलों ने दाखिला लेन

उनको पहला नोटिस दिया गया है।

वहीं, आरटीई पोर्टल पर स्कलों का

ांजीकरण न होने के चलते उनकी

मैपिंग नहीं हो पा रही है। कछ

स्कूल ऐसे हैं जो विभाग की हर

बात को अनमना कर पोर्टल पर

लखनऊ पब्लिक स्कूल को इसको

लेकर नोटिस दिया है। बीएसए ने

नगर विराट खंड चार स्थित

मैपिंग करा ली गई है।

शरू कर दिया। जो नहीं मान रहे

के खिलाफ 200 से ज्यादा

आरटीई में प्रवेश से बचने को स्कूलों में 'स्पेशल रजिस्टर'

आरटीई में एडमिशन कम लेने पडें इसलिए अधिकांश स्कल दिखा रहे कम सीटे

रकलों में १००० से लेकर 2000 बच्चे , एडमिशन ले रहे सिर्फ 10 से 20 बच्चों का

kannum@inext.co.in

KANPUR (1 Sept): सइट ट्र् एजुकेशन यानि आस्टीई में आर्थिक से कमजोर बच्चों के कम से कम एडमिशन लेने पड़े इसके लिए स्कूल कई तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं. तरह-तरह खामियां निकालकर एडमिशन न लेना तो आम बात हो गई थी. डीएम के एक्शन के बाद स्कूलों ने एडमिशन तो ले लिए हैं लेकिन अब नया खेल सामने आया है. शहर के नया खल लामन जाया है. राहर क कई नामचीन स्कूलों ने स्पेशल अटेंट्रेंस रिक्टर बनाया है. बीएसए ऑफिस के कुर्मचारियों को दिखाने के लिए ज़िसमें प्ले ग्रुप या फर्स्ट क्लास की सीटें सिर्फ 15 या 20 दिखाई जा रही हैं जिससे आरटीई में चार या पांच बच्चों का ही प्रवेश लेना पड़े. जबकि स्कुलों में छात्र संख्या 2000 से भी ज्यादा है.

40 बच्चों की एक क्लास

सीबीएसई और आईसीएसई स्कलों



आरटीई के तहत बच्चों को एडमिशन

25 प्रतिशत सीटों पर जरूरी

अगर पीजी और फर्स्ट में 100 बच्चे

हैं तो 25 बच्चों को एडमिशन मिलना

चाहिए, कई नामचीन स्कूल ऐसे हैं जहां सीटों के तुलना में बेहद कम

स्कुल ने दिखाई 20 सीटें

डीएम की बैठक से पहले वर्रा के

एक स्कूल में बीएसए के कर्मचारी

आरटीई के एडिमिशन कराने गए थे. स्कूल प्रबंधन ने अपने यहां सिर्फ 20 सीटें ही बताईं. उस हिसाब से 25

एडमिशन ही लिया है.

बीएसए साहब। 'गर्व' कीजिए कानपुर RTE में नीचे से टॉप पर है Allow and regard and regard to the

डीजे आईनेक्स्ट ने उठाया वा मुद्दा. बच्चों का एक सेक्शन होता है. कई बड़े स्कूलों में तो चार- पांच सेक्शन चल रहे हैं. इस हिसाब से वहां 120 और 160 बच्चे इन क्लासेज में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आरटीई में एडमिशन न लेना पड़े इसलिए स्पेशल रजिस्टर नाकर उसमें पीजी या फर्स्ट क्लास में स्कल में सिर्फ 20 या 40 सीटों का ही हवाला दिया जा रहा है. आस्टीई के तहत शासन की गाइडलाइन है कि निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर 1343 प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड है

8077 बच्चों को बीएसए ऑफिस ने स्कूल एलॉट किए गए हैं

4000 से अधिक बच्चों को

भारटीर्द के तहत मिला एडमिशन

💼 स्कलों में हर बच्चे को



एडमिशन दिलाने का प्रवास किया जा रहा है. आस्टीई को लेकर रजिस्टर की जानकारी नहीं है. अगर ऐसा है

वो टीमें बना कर जांच कराई जाएगी. गडबड़िया मिली तो एक्शन होगा. सुरजीत कुमार सिंह, दीएसए

एडमिशन दिए गए हैं. कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां सिर्फ 5 या 6 बच्चों का एडमिसन लेने की बात कही थी. ये तो सिर्फ उदाहरण है.

> १० स्कुलों २५ या ३० प्रवेश शहर में सीबीएसई और आईसीएसई के करीब 200 स्कूल हैं. अधिकांश में सीटों की संख्या लगभग बराबर है. करीब 10 स्कूलों ने 25 या इससे ऊपर बच्चों के एडमिशन लिए हैं जबकि अन्य ने 10 फीसदी भी नहीं लिए,

ट्रेलर ने डीसीएम में मारी टक्कर चालक की मौत

डिवाइडर तोइते हुए डीसीएम पहुंची दूसरी तरफ, हाईवे पर लगा जाम

@inext.co.in Kanpur@mext.co.m KANPUR (1 Sept): गुजैनी के पास एलीवेटेड हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने ओव्रटेक करने के चक्कर में आगे चल रहे डीसीएम में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि डीसीएम द्वनार इतना तथा था कि उत्तार्य दिवाइटर तोड़ते हुए दूसरी लेन पर जा पहुंचा और दोनों वाहनों के चासक गाड़ियों के बीच फूंस गए, हादसे के बाद हाईबे पर करीब डेढ घंटे जाम बाद हाइव पर कराब डढ़ घट जाम लगा रहा. मीके पर पहुंची गुजैनी और बर्ग थाने की फोर्स और ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से डीसीएम खींचकर गंभीर रूप से घायल दोनों चालकों को निकाल एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टर ने ट्रेलर चालक को मृत घोषित कर दिया.

टेलर उड़ीसा से आ रहा था

राजस्थान के अलावर जिला निवासी 35 साल के शौकत अली के परिवार में पत्नी अशिंदा और चार बच्चे हैं. रिस्तेदार इजराइल ने बताया कि शौकत किञ्चनगढ़ के लोहा कारोबारी का ट्रेलर चलाता था. वह उडीसा से ट्रेलर में लोहे की चादर लाद कर गाजियाबाद जा रहा था. गुरुवार दोपहर गुजैनी के पास एलीवेटेड हाईवे पर आगे चल रहे आटे की बोरियां लदे डीसीएम से ट्रेलर टकरा गया था. दोनों गाड़ियों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पुलिस उन्हें अस्पताल भेजा

लखनक, विशेष संवाददाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत वर्षी में वर्तमान शैक्षिक सत्र में नया रिकार्ड बनाया है। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में गरीबी के बच्चों का प्रवेश निजी स्कुलों में

सत्र 2022-23 में निजी स्कूलों 1.31 लाख गरीब व अलाभित समृह के बच्चों का प्रवेश शिक्षा का धिकार अधिनियम 2009 आरटीई) के तहत हो चका है।

के निर्देश दिए हैं। इन बच्चों को कक्षा आठ तक निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अभी तीसरी लाटरी के लिए 10 जन

छात्र फीस प्रतिपुर्ति करती है। पौने पांच लाख गरीब बच्चे पढ रहे हैं निजी स्कलों में : देश में आरटीई कानून 2009 में ही लागू किया गया था। पूर्ववर्ती सपा सरकार में 2012 से 2016 तक लगभग 21 जबिक 2017 से 2021-22 तक . प्रवेश लिए हुए 3.41 लाख बच्चे निजी स्कलों में अब भी पढ़ाई कर रहे हैं। इस सत्र में 1.31 लाख बच्चो का प्रवेश हो चका है। पिछले शैक्षिक सत्र में लगभग एक लाख बच्चों का प्रवेश हुआ था।

ये जिले हैं टॉप टेन मे जिला 14246 लखनक कानपुर नगर 8077 7321 5049 गाजियाबाद 4515 4097 4091 3147

3124

है। पहले चरण के चयनित बच्चों की दाखिला निकाल रहा है। कई बंद स्कूलों में दाखिले के मिलेनियम, एलपीएस, न्यू पब्लिक कॉलेज समेत सूची 30 मार्च और दूसरे चरण की 28 अप्रैल लिए बच्चों को अलॉट करने के मामले भी सामने कई स्कूल शामिल हैं। बीएसए ने बताया कि आए। इन सभी समस्याओं व गडबडियों को सभी को नोटिस जारी कर बच्चों को दाखिला देने अभिभावकों को बच्चों का दिखला कराने में लेकर अमर उजाला ने प्रमुखता से खबरें के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी शिकायतें आती समस्याएं आ रही हैं। अभिभावकों के अनुसार प्रकाशित की थीं। इसके बाद बेसिक शिक्षा हैं तो दूसरे नोटिस में अल्टीमेटम दिया जाएगा। अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने 40 स्कूलों को तीसरे नोटिस में मान्यता खत्म करने की वहीं. जो छात्र पहले से आरटीई के अंतर्गत पढ़ नोटिस जारी किया है। इनमें अधिकतर बड़े कार्यवाही की जाएगी।

स्कुलों के। 450 रुपये प्रतिमाह प्रति मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के

निर्देश के बाद सभी निजी स्कूलों को आरटीई 2009 के मृताबिक गरीब व सामाजिक रूप से वचित वर्गों के बच्चों के लिए कक्षा एक में प्रवेश देने

इसमें फीस का भार सरकार उठाती है। हजार बच्चों के एडिमशन हुए थे। चयनित छात्रों के एडिमशन मे आनाकानी करने पर निजी स्कूलों पर कार्यवाही भी की जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने बताया कि

तीसरे चरण की लॉटरी 15 जून को निकलेगी और 30 जुन तक दाखिले

अपना कानपुर

बच्चों के अधिकार परभी डाका...ये कैसे

कानपुर। स्कूल ही बच्चों से मुह मोड़ लें, उनका अधिकार न दें तो . . . उन्हें क्या कहा जाए। कानपुर के दो स्कूलों से ऐसे ही मामले सामने आए। एक स्कूल ने मां के आंसुओं की कब्र नहीं की। आरटीई के तहत हकदार उसके बच्चों को प्रवेश नहीं दिया। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने बुधवार के अंक में उस मां के दुर्द को शब्द दिए तो परा तंत्र जागा। अफसर बच्चों को लेकर पहुंचे और बच्चों को प्रवेश दिलाया। लेकिन इसी दिन एक अन्य स्कल की असंवेदनशीलता सामने आई है। उसने आरटीई के तहत पढ़ रहे छात्रों को केवल इसलिए स्कल से बाहर कर दिया कि उनके पास स्मार्ट फोन नहीं हैं।

बेसिक शिक्षा अधिकारी

खद पहुंचे प्रवेश कराने

स्टेप जवाहर नगर में

अप्रैल से दौड़ रही थी मां

और खंड शिक्षा अधिकारी

एनएलके पब्लिक लिटिल

पिता अपने बच्चों को स्मार्ट फोन न दे सके तो स्कूल ने उनके नाम काट कर बाहर कर दिया। इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानन के तहत 2018-19 में प्रवेश मिले थे। वे कोविड काल में स्मार्ट फोन से पढ़ाई नहीं कर सके। स्कल से नाम कटने के बाद एक मजदर पिता बेटी को लेकर स्कूल के चक्कर काटते-काटते थक गया तो उसे घर पर ही बैठा लिया। बीएसए कार्यालय तक ऐसे चार मामले पहुंचे हैं। स्कुल शिक्षा महानिदेशक से भी शिकायत की है।

उस्मानपुर निवासी देशराज मजदुरी कर परिवार का पेट पालते हैं। उन्होंने बेटी अर्चना का एडिमशन आरटीई के तहत सत्र 2018-19 में साकेत नगर स्थित वेंडी एकेडमी हाईस्कल में प्री नर्सरी में करा दिया था। देशराज के अनुसार एक सत्र उसने पूरी पढ़ाई की। अगले सत्र में कोरोना काल के दौरान किसी भी तरह का फोन नहीं होने के 2018-19 में मिला था प्रवेश स्कुल वालों की मनमानी

- बीएसए से मजदूर देशराज ने बयां की अपनी बेबसी
- वेंडी एकेडमी में आरटीई में दो वर्ष पहले कराया था दाखिला

66 आरटीई में सत्र 20 18-19 में प्रवेश लेने के बाद स्कूल बच्चों को निकाल नहीं सकते हैं। स्कूल संचालक को नोटिस दिया गया है। यदि वे फिर भी प्रवेश नहीं लेते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। - **सरजीत क** .सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी

स्कुल को बीएसए ने थमाया नोटिस

बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने वेंडी एकेडमी हाईस्कूल, साकेत नगर के प्रबंधक और प्रधानावार्य को नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। समाजसेवी संदीप पांडेय और महेश कुमार ने अभिभावकों की ओर से वेंडी एकेडमी हाईस्कल की शिकायत की है।

कारण पढ़ाई बाधित हो गई।

स्कुल खुला तो नहीं दी इंट्री : देशराज बताते हैं कि सत्र 2022-23 की शरुआत हुई तो वह बेटी को लेकर स्कल गए। स्कल ने मेरी बेटी को पढ़ाने से मना कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा-जब स्मार्ट फोन नहीं तो पढ़ाई क्यों कराते हो। इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की पर स्कूल न माना।

यही हाल अन्य तीन बच्चों का भी उस्मानपुर निवासी सनोज भी मजदर हैं। उनकी बेटी सान्या का दाखिला भी वर्ष 2018-19 में पी नर्सरी में हुआ था पर स्मार्ट फोन न होने से प्रवेश नहीं

रमार्टफोन नहीं था, बच्चे का नाम काटा | जुड़वांरिदम,अमायाको बर्थडे का गिफ्ट



असर

कानपुर,वरिष्ठ संवाददाता। छह माह बाद जुडवां भाई-बहन रिदम और अमाया को उनके जन्मदिन पर स्कल में एडमिशन का गिफ्ट मिल गया। शिक्षा का अधिकार के तहत इन बच्चों को स्कुल आवंटित हुआ था लेकिन स्कल प्रवेश लेने को तैयार नहीं था। बुधवार को बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने खुद जाकर बच्चों का प्रवेश कराया।

आपके अपने अखबार 'हिन्दस्तान' ने बुधवार के अंक में 'स्कुल के सामने रोई मां, फिर भी नहीं लिया प्रवेश' खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। डीएम के निर्देश पर बुधवार सुबह बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी दीपक अवस्थी और वरिष्ठ लिपिक अनिल द्विवेदी एनएलके पब्लिक लिटिल स्टेप जवाहर नगर पहुंचे। यहीं बच्चों की मां बबीता को बलाया गया।



दि स्कूल के स्तर से कई शिकायत आइ था। इस लक्षर उस नोटिस भी दिए जा रहे थे। स्कूल ने दोनों बच्चों को प्रवेश दे दिए

हैं। स्कुल को चेतावनी भी दे दी गई है। अन्य स्कुलों ने भी वादा किया है कि वे प्रवेश ले लेंगे। - सुरजीत कुमार सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी

स्कुल को दी गई चेतावनी, तब माने : पहले तो स्कुल ने प्रवेश लेने में आनाकानी की। काफी देर बाद एक तकनीकी खामी निकाली। अभिभावक के आवास की जांच का मद्दा उठाया। नियमों की अवहेलना पर जब स्कूल को प्रवेश न लेने पर उनके खिलाफ संभावित कार्रवार्ड के बारे में बताया गया तो स्कल प्रवेश लेने पर राजी हुआ।

अभिभावक से मांगा शपथपत्र: इन बच्चों को एनएलके पब्लिक लिटिल स्टेप जवाहर नगर में सीट आवंटित की गई थी। स्कुल का कहना था कि बच्चे जडवां हैं. लेकिन फार्म में एक में अलाभित वर्ग है। बताया कि फार्म अभिभावक इंटरनेट कैफे पर भरवाते हैं। इस कारण यह त्रुटि हो गई होगी। अभिभावक एक शपथपत्र दे देंगे।

पहले ११ लाख फीस दिलाओ फिर आरटीई में लेंगे प्रवेश

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता । पहले सरकार से 11 लाख रुपये फीस का चेक दिलाओ फिर आरटीई में प्रवेश लेंगे। वरना जहां मर्जी शिकायत कर दो। एक स्कल के प्रधानाध्यापक ने यह धमकी एक अभिभावक को दी। कैंपस में दोनों के बीच खब झगड़ा भी हुआ। इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। ऐसे ही अभिभावक दिन भर स्कूलों से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक दौडभाग और हंगामा करते रहे।

आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश की फीस भरपाई सरकार करती है। वर्ष प्रवेश को मारामारी, डीएम से मिलकर शिकायत की

स्कूल में अभिभावक और स्कल संचालक भिडे

प्रतिशत भुगतान नहीं हो सका है। इस बात से नाराज स्कूल संचालक आरटीई के प्रवेश लेने में आनाकानी कर रहे हैं। मंगलवार को गल्ला मंडी स्थित एक स्कल में ओम तिवारी अपने बेटे का प्रवेश कराने गए थे। पहले तो प्रधानाध्यापक ने यह कहते हुए प्रवेश से इनकार कर दिया कि बेसिक शिक्षा مراجعت المحمد ال



अपना कानपुर

शर्मनाक: बच्चों के एडिमशन के लिए स्कूल के सामने रोती रही मां

सुनवाई नहीं

गनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गरी**बी** मारे लिए अभिशाप बन गई है। मारे पास पैसा नहीं है यह हमारा कसर है लेकिन हम करें भी तो क्या। हम नहीं चाहते कि आगे चलकर हमारे बच्चे भी हमारी तरह मोहताजी का जीवन जीएं। उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहती हूं, कुछ बनाने का सपना पाले हूं पर प्राइवेट स्कूल दाखिला लेने को तैयार नहीं हैं। आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत अपने बच्चे का एडिमशन कराने पहुंची एक मां का यह दर्द सुनकर हर किसी का कलेजा कांप उठेगा पर स्कल प्रबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ा। डीएम से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक के चक्कर

- बोली-गरीबी हमारे लिए अभिशाप, बच्चों को अच्छा पढाना चाहती हं
- डीएम से ले खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक के काटे चक्कर

काटे पर कुछ न हुआ। मंगलवार को बेबस बबिता साहूँ स्कूल गेट पर काफी देर तक रोती रही पर स्टाफ पसीजा नहीं। आंसुओं के बीच आखिरकार उसे लौटना पड़ा। बबिता ने बताया कि जुड़वा बच्चों रिदम और अमाया को एनएलके पब्लिक लिटिल स्टेप जवाहर नगर में सीट आवंटित की गई थी। रिदम की पंजीकरण संख्या 150894 और अमाया की 150893 है। स्कूल दोनों के प्रवेश के लिए पहले तो



बबिता बच्चों के साथ दाखिले के लिए इधर-उधर भटक रहीं पर कोई सुनने वाला नहीं।

एनएलके स्कुल ने बीईओ की भी नहीं सुनी

बबीता मंगलवार को पहले स्कूल गई और फिर बीईओ कार्यालय प्रेम नगर आई। यहां बीईओ दीपक कुमार ने स्कूल फोन किया। प्रवेश लेने को कहा। फिर एक आदेश की प्रति लेकर उनसे स्कूल जाने को कहा। बबीता स्कूल पहुंचीं लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। वह काफी देर तक वहां खड़ी रोती रही।

आज-कल करते बलाता रहा लेकिन बाद में एडिमशन से इनकार कर दिया। उन्होंने पांच जलाई का पत्र

दिखाते हए बताया कि इस संबंध में डीएम से शिकायत की थी। इसके बाद कई बार स्कल गए लेकिन

घर-कारोबार की कराई जांच बबिता के मुताबिक पति सिलाई का काम करते हैं। स्कूल वालों ने पहले हमारे अशोक नगर स्थित घर की जांच कराई। फिर पति जहां नौकरी करते हैं वहां जाकर जांच की। इसके बाद भी

प्रवेश नहीं लिया गया।

कठोर कार्रवाई को सचित करेंगे बीईओ दीपक अवस्थी ने स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य को भेजे पत्र में प्रवेश लेकर दो दिनों के अंदर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर कटोर कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को सचित करने की चेतावनी दी गई है।

आरटीई के तहत प्रवेश न लेने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। बबिता के प्रकरण की जांच कराएंगे। प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा । — विशाख जी. डीएम

सत्यापन के बाद स्कूलों को मिलेगी आरटीई की फीस

समाजसेवी संदीप पांडेय और मीनू सूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद से मुलाकात की। स्कूलों की फीस व अभिभावकों की धनराशि के 350 करोड़ मिल गए हैं। सत्यापन के बाद वितरण होगा।

इनकार किया जाता रहा। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रेम नगर में कंप्लेन की। कार्यालय से कई बार

स्कल फोन किए गए लेकिन एक नहीं सुनी। अप्रैल से अब तक इसी तरह इधर-उधर भटकाया जा रहा है।









हिन्दुरतान

मांगः आरटीई का दायरा 12वीं तक करे सरकार

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। असंगठित क्षेत्र के संगठनों के वक्ताओं ने रविवार को कहा कि यदि जीवन स्तर में सुधार करना है तो हमें अपने बच्चों को मेहनत और लगन के साथ पढाना होगा। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) को इसका एक हथियार बना सकते हैं। घरेलू महिला कामगार यूनियन के महामंत्री मीनू सर ने कहा कि बिना शिक्षा के हम श्रमिकों के अधिकार जैसे काम के घंटे, ऊंची मजदूरी आदि के बारे में नहीं जान सकते। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों को जानना जरूरी है। सरकार से मांग की गई है कि आरटीई का दायरा 08वीं से बढाकर 12वीं तक किया जाए।

वह गोविंद नगर स्थित बारातशाला में छह संगठनों घरेलू महिला कामगार यूनियन, आशा ट्रस्ट, लोक सेवक मंडल, पीयूसीएल कानपुर, नेशनल सेंटर फॉर लेबर और पीपुल्स फोरम के महासम्मेलन में बोल रहे थे। यहां



गोविंद नगर में रविवार को पांच मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया।

महिला दिवस के साथ होली मिलन समारोह भी हुआ। आरटीई में प्रवेश पाए पांच मेधावी सम्मानित किए गए।

मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हों : आशा ट्रस्ट के ट्रस्टी वल्लभाचार्य पांडेय ने कहा कि आरटीई के प्रति जागरूक कर बच्चों के प्रवेश आसानी से कराए जा सकते हैं। लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष दीपक मालवीय ने कहा कि हम जितना जागरूक होंगे, उतना ही आगे बढ़ सकेंगे। गांधी शांति प्रतिष्ठान के जगदंबा भाई ने कहा कि हमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। आईसीएएन के संयोजक अरविंद मूर्ति, पीयूसीएल के अध्यक्ष तौहीद अहमद, पीपल्स फोरम के आलोक अग्निहोत्री, सारस फाउंडेशन के सलीम अहमद, रजनीश, राम किशोर बाजपेई, माया, पूजा, दीपमाला, चंदना झा, आरती, मोहिनी देवी, रुखसाना बेगम, महेश कुमार आदि रहे।

भावना शिक्षिका बनेगी

रामाश्रय नगर की भावना तिवारी पढ़कर शिक्षिका बनना चाहती है। डॉल्स डिलाइट में पढ़ने वाली छात्रा



कक्षा चार में सेकेंड पोजीशन आई है।

अनन्या भास्कर बनेगी एक्ट्रेस

बगाही में रहने वाली अनन्या भास्कर सिटी एजुकेशन सेंटर में पांचवीं की छात्रा है। अनन्या



को अभिनय करना अच्छा लगता है।

शिवम बनेगा इंजीनियर

कच्ची बस्ती, गोविंद नगर निवासी शिवम झा ने चौथी की परीक्षा 96 फीसदी अंकों के साथ पास की है। शिवम कुछ बनकर घर की स्थिति में सुधार करना चाहता है।

खुशी बिजनेस करेंगी

दर्शन पुरवा निवासी खुशी निषाद फातिमा कॉन्वेंट में पांचवीं की छात्रा है। खुशी बिजनेसमैन बनना चाहती हैं।



वैभव पढ़ाई के बाद लेगा फैसला

परमपुरवा निवासी वैभव गुप्ता सुपर इंटरनेशनल में पांचवीं का छात्र है। वैभव का कहना है कि वह



करियर के बारे में बाद में सोचेगा।

Unorganized Workers' Social Security Act 2008

Unorganised Workers' Social Security Act 2008 is an Act of the Parliament of India enacted to provide for the social security and welfare of the unorganised workers. We are doing Webinar/Public meetings with women domestic workers in Kanpur. Total number of domestic workers reached 40 to 200 in per meeting.

ई-श्रम पोर्टल पंजीयन में यूपी आगे

उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश शीर्ष नौ राज्यों में शामिल

NEW DELHI (27 Aug, Agency): ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन के मामले में यूपी सभी राज्यों से आगे हैं. उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पंजीयन के मामले में पहले नौ राज्यों में शामिल हैं. सिर्फ नौ राज्य ही अपना 80 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर पाए हैं. असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सरक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय की तरफ से ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है. श्रम मंत्रालय का मानना है कि देश भर में 38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक है. इसलिए ई– श्रम पोर्टल पर 38.37 करोड श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी राज्यों को श्रमिकों के पंजीयन को लेकर

38.37 करोड श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य रखा है केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 28.10 करोड श्रमिकों का

> पंजीयन हो चुका है देश में 15 अगस्त तक 80% पंजीयन का लक्ष्य केवल नौ राज्य ही हासिल कर पाए हैं

क्या कहते हैं आंकडे ?

पंजीयन राज्यवार स्थिति गत 15 अगस्त तक देश भर 124.49% में 28.10 करोड़ असंगठित 102.35% श्रमिकों का पंजीयन ई-श्रम **छत्ती**सगढ 99.15% पोर्टल पर किया जा चुका उत्तराखंड 94.10% था. पंजीयन लक्ष्य का 80 बंगाल 91.79% प्रतिशत हासिल करने वाले राज हिमाचल 91.74% यों में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार 81.27% छत्तीसगढ, उत्तराखंड, पश्चिम झारखंड 83.54% बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-66.17% हरियाणा कश्मीर, झारखंड और बिहार 64.87% शामिल हैं. सरकार ने ई-श्रम 61.72% पोर्टल के डाटा को विभागों से 68.74% साझा करने का फैसला लिया है.

केरोड लेबर रजिस्टर्ड

श्रम मंत्रालय के मुताबिक इस साल 15 अगस्त तक युपी में लक्ष्य के मुकाबले 124 परसेंट श्रमिकों का पंजीयन किया गया है.

अ.6 कि प्रिप् करोड़ श्रमिको के पंजीयन का लक्ष्य दिया गया था और 8.29 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है.

लक्ष्य से अधिक पंजीयन करने वाले राज्यों में यपी. ओडिशा शामिल है.





Right to Information Act 2005

The Right to Information Act, simply known as RTI, is a revolutionary Act that aims to promote transparency in government institutions in India. The Act came into existence in 2005, after sustained efforts of anti-corruption activists.

In between April 2022 to August 2023 I was receive near 250 phone calls for help the



राजेश भास्कर, क...



Total approved amount for Mahesh Pandey fellowship for 2023-2024 is 4,97,000. The monthly salary is 41,416/- . So total is 4,97,000